

26.4.17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.।
 उत्तरवादीगण एकतरफा। उत्तर पत्र -
 उत्तरवादी क्र. 38 के जोर से वाक्य की
 खस सुनी गई। फायली की अवलोकन
 किया गया। पीछे पता कि उत्तरवादी
 क्र. 38 के वादिका पूर्व से ही रकड
 पर ही लिखा उत्तरवादीगण की उत्तर
 पर स्वीकार किया जाकर उत्तरवादी क्र. 38
 की नफा वाद के हथमा जाता है और
 सहायक शीर्षक रकड पर लिखा जाता है।
 वकील वादी द्वारा विवेक किया कि
 वादीगण का भी जो के पूर्व से उत्तर
 पत्र की जो सुनी हो जो जलक
 पेटा कला नही पाहते है और वकील
 जलक बंद की जाती है। तदनुसार वकील
 वादीगण की खस सुनी गई। दौरान बंध
 रकड किया, कि वादीगण व उत्तरवादी क्र.।
 क्र. 10 का ही वादिका के रूप में है।
 जो मुख्यतः रतीया के वादिका है।
 मुख्यतः की रतीया की पत्रक व पुस्तिका
 सहायक उत्तरवादी द्वारा साध-पनेनी
 चतरवाजे की वाणी तहलीम सिंगर की
 की खसता संख्या 96, 114, 269, 270, 274
 278/2, 304, कुमय: संख्या 18-06, 12-18,
 0-15, 14-10, 14-19, 5-10, 12-10 कीधो के
 इली नाम की सं. संख्या 94/2 संख्या
 69-07 कीधो व संख्या क्र. 104 संख्या

Accepted

सहायक कलक्टर
SDC सिविली

श्री नारायण
श्री हर

9-18 वरीधा व सात माना रु र
 धतरवालो की ढाठि की खजवा 0 रजवा
 225 रकवा 350 कीधी व खजवा लि
 112/ 225 रकवा 34- 10 कीधी भादि
 आदि इति 111/ सुतवणी खीजा के जोध
 होने पर वारितान के रूप में उत्तियादी
 लि. 1 (जोगराम) के नाम नामानकटा
 पारित करते हुए खजवादी दर्ज की गई
 उत्तियादी लि. 1 के वारितान में, उत्तियादी
 लि. 2 से 10 वें/ 11 प्रकार पैतक व
 सुतवणी भादि में जोते व सुत अपने
 दादा की पैतक भादि में एक तीफला
 जेने की के आधीकार दी मत! वारीगाण
 का वाद हवीकार किया जाका ग्राम -
 पनेणी धतरवालो की ढाठि तहसील सिणधरी
 की खजवा खजवा संख्या 96, 114, 269, 270,
 274, 278/ 2, 304 कुमता: रकवा 18-06,
 12-18, 0-15, 14-10, 14-19, 5-10,
 12-10 कीधी भादि में 1/18 हिस्सा वारी लि. 1
 का, 1/30 हिस्सा वारी लि. 2 का, 1/6 हिस्सा
 उत्तियादी लि. 1 का, 1/18 हिस्सा उत्तियादी लि. 2 का,
 1/30 हिस्सा उत्तियादी लि. 3 का, 1/6, 1/6 हिस्सा
 उत्तियादी लि. 4 से 6 प्रत्येक का, 1/18 हिस्सा
 उत्तियादी लि. 7 का एवं 1/30, 1/30 हिस्सा
 उत्तियादी लि. 8 से 10 प्रत्येक का कोषित किया
 जावे। इति प्रकार इति साद की खजवा संख्या

सहायक कलेक्टर
SDC सिणधरी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम
में जारी है

94/2 रकबा 69-07 बीघा भूमी में
1/54 हिस्सा यात्री ल. 1 का, 1/90 हिस्सा
यात्री ल. 2 का, 1/18 हिस्सा प्रतिवादी ल. 1
का, 1/54 हिस्सा प्रतिवादी ल. 2 का, 1/90
हिस्सा प्रतिवादी ल. 3 का, 1/18, 1/18 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 4 से 6 का, 1/54 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 7 का व 1/90, 1/90 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 8 से 10 का कोषित भिदा
पावे/रही ग्राम की खसरा संख्या
104 रकबा 9-18 बीघा भूमी में 1/180
हिस्सा यात्री ल. 1 का, 1/300 हिस्सा
यात्री ल. 2 का, 1/60 हिस्सा प्रतिवादी ल. 1
का, 1/180 हिस्सा प्रतिवादी ल. 2 का,
1/300 हिस्सा प्रतिवादी ल. 3 का, 1/60, 1/60
हिस्सा प्रतिवादी ल. 4 से 6 का, 1/180
हिस्सा प्रतिवादी ल. 7 का व 1/300, 1/300
हिस्सा प्रतिवादी ल. 8 से 10 का एवं
ग्राम कानासर धतरवाले की ढाणी -
तस्लीत शीठधारी की खसरा संख्या
225 रकबा 350 बीघा व खसरा संख्या
412/225 रकबा 34-10 बीघा भूमी में
1/72 हिस्सा यात्री ल. 1 का, 1/120 हिस्सा
यात्री ल. 2 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी ल. 1
का, 1/72 हिस्सा प्रतिवादी ल. 2 का, 1/120
हिस्सा प्रतिवादी ल. 3 का, 1/24, 1/24 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 4 से 6 तक का, 1/72 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 7 का, 1/20, 1/20 हिस्सा
प्रतिवादी ल. 8 से 10 का कोषित भिदा पावे।

सहायक क्लर्क
SDG दिल्ली

नम्बर
अहकाम
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

हमने उत्तरपक्ष की शर्त पर मत
किफा कोर्ट फावली पर उपलब्ध राजस्व
रिफाई, दस्तावेजात एवं अज्ञानत का
गान्धीरता पूर्वक अवलोकन किफा गौरी
रिफाई के बाजा, कि वादग्रस्त श्राप्ति पैतृक
व पुत्रोनी श्राप्ति है जो फावली के
कालगन नामान्तकण ले रूपर है। एवं
मुतवफाई शीपा के फोत होने पर,
~~किफा~~ किफात का नामान्तकण उज्जे
वालि छत्रिवादी स. ०१ (ओगारग) के नाम
वापर किफा कोर्ट उज्जे श्राप्तिदारी
इजाबिकार छाफा हुए। छत्रिवादी स. ०१ के
वादिगण ने वादिगण व छत्रिवादी ०. २ ले
१ है। इत उकाट पैतृक व पुत्रोनी
श्राप्ति ने वादिगण डाडा की छलपति
ने एक हीला छाफा बने के श्राप्तिदारी है।
एवं छत्रिवादी स. ०१ ने अपने हुकवाली जवक
ने वादिगण व छत्रिवादी स. २ ले १ को
सहस्रातेदार करार देने काषार सहस्राते उपात
की है। एवं अज्ञानत ले भी छत्रिवादी
है, कि वादिगण व छत्रिवादी स. २ ले १
वादग्रस्त श्राप्ति ने छत्रिवादी स. ०१ के साथ
सहस्रातेदार घोषित होने के हुकदार है।
रिहाया वादिगण का वाद श्राप्तिदारी
किफा जाकर नाम- पनेनी छतरवालो
की ठानी तहसील सिगधरी की सत्ता
संख्या १६, ११५, २६९, २७०, २७५, २७८/२, ३०५

सहायक कलेक्टर
SDC सिगधरी

हिल्ला व
उत्प्रेषणी स०
उत्प्रेषणी
३

क्रमांश: रकबा 18-6, 12-18, 0-15,
14-10, 14-19, 5-10, 12-10 बीघा
ग्रामे मे वादीगण व उत्प्रेषणी स० 2 से 10
को उत्प्रेषणी स० के लान्न सह रगतेदार
करार देते हुए, 1/18 हिल्ला वादी स० 1
की, 1/30 हिल्ला वादी स० 2 की, 1/6 हिल्ला
उत्प्रेषणी स० 1 की, 1/18 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 2
की, 1/30 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 3 की, 1/6, 1/6
हिल्ला उत्प्रेषणी स० 4 से 6 उत्प्रेषणी की, 1/18
हिल्ला उत्प्रेषणी स० 7 की, 1/30, 1/30 हिल्ला
उत्प्रेषणी स० 8 से 10 उत्प्रेषणी की, इली ग्राम
की रकबा संख्या 94/2 रकबा 69-07
बीघा ग्रामे मे वादीगण व उत्प्रेषणी स० 2 से
10 को उत्प्रेषणी स० के लान्न सह रगतेदार
करार देते हुए, 1/54 हिल्ला वादी स० 1 की,
1/90 हिल्ला वादी स० 2 की, 1/18 हिल्ला
उत्प्रेषणी स० 1 की, 1/54 हिल्ला उत्प्रेषणी
स० 2 की, 1/90 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 3 की,
1/18, 1/18 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 4 से 6 उत्प्रेषणी
की, 1/54 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 7 की,
1/90, 1/90 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 8 से 10
की रगतेदारी के क्षेत्र की जाती है।
इली ग्राम की रकबा संख्या 104 रकबा
9-18 बीघा ग्रामे मे वादीगण व उत्प्रेषणी
स० 2 से 10 को उत्प्रेषणी स० के लान्न
सह रगतेदार करार देते हुए, 1/180 हिल्ला
वादी स० 1 की, 1/300 हिल्ला वादी स० 2
की, 1/60 हिल्ला उत्प्रेषणी स० 1 की, 1/180

सहायक कलेक्टर
SDO मिल्खाडी

हिल्सा परिवारी सं० २ की १/३०० हिल्सा
परिवारी सं० ३ की १/६०, १/६० हिल्सा
परिवारी सं० ५ से ६ प्रत्येक की १/८०
हिल्सा परिवारी सं० ७ की व १/३००, १/३००
हिल्सा परिवारी सं० ८ से १० प्रत्येक की व
ग्राम - मानासर धतरवाले की दागी तह-
खिणधरी की खलरा संख्या २२५ रकबा
३५० बीघा व खलरा संख्या ५१२/२२५
रकबा ३५-१० बीघा भूमी मे वादीगण
व परिवारी सं० २ से १० को परिवारी सं० १
के साथ खलरातेदार करार देते हूए.

१/७२ हिल्सा वादी सं० १ की १/१२० हिल्सा
वादी सं० २ की १/२५ हिल्सा परिवारी सं० १
की १/७२ हिल्सा परिवारी सं० २ की १/१२०
परिवारी सं० ३ की १/२५, १/२५ हिल्सा परिवारी
सं० ५ से ६ प्रत्येक की १/७२ हिल्सा परिवारी
सं० ७ की व १/१२०, १/१२० हिल्सा परिवारी
सं० ८ से १० प्रत्येक की खातेदारी मे घोषित
की जाती है शेष बंदूखर रहेगा। तहखिलका
खिणधरी तदनुसार राजस्व रिमाई मे अदल-
राफद की कार्यवाही किया जाता सुनिश्चित
करावे। तदनुसार दिनी पत्र जारी की

निर्णय अहमदाबाद दिनांक २६/०१/१२ को खुले
जमापालक मे सुनाया गया।

प्रभावपी केवल सुभार हीमा दाखिल
करावे है।

दिनांक
२१/०१/१२
सहायक कमिश्नर
SDG अहमदाबाद

मूल वाद मे डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.),सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

अनवान


वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1.नरेशकुमार पुत्र अजमालराम
 - 2.सत्यपाल पुत्र देवाराम
- जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालो की
ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर

- 1.जोगाराम पुत्र खीयाराम
- 2.अजमालराम पुत्र जोगाराम
- 3.देवाराम पुत्र जोगाराम
- 4.केसीदेवी पुत्री जोगाराम
- 5.हेमीदेवी पुत्री जोगाराम
- 6.दूगीदेवी पत्नि जोगाराम
- 7.अनिता पुत्री अजमालराम
- 8.सरोज पुत्री देवाराम
- 9.रूपो पुत्री देवाराम नाबालिग की कुदरती
वली माता नथुदेवी पत्नि देवाराम
- 10.प्रियंका पुत्री देवाराम नाबालिग की
कुदरती वली माता नथुदेवी पत्नि देवाराम
जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की
ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
- 11.भलाराम पुत्र नानगा नाबालिग की कुदरती
वली माता केहरी
- 12.भैराराम पुत्र नानगा नाबालिग की कुदरती
वली माता केहरीदेवी
- 13.केहरीदेवी पत्नी नानगाराम
- 14.जसाराम पुत्र नानगाराम
- 15.पूरा पुत्र जोधा
- 16.अचला पुत्र जीवण
- 17.पूनमाराम पुत्र विशनाराम
- 18.कसूमबी पत्नी विशनाराम
- 19.रामा पुत्र तेजा
- 20.लुंभा पुत्र बांका
- 21.थाना पुत्र बांका
- 22.मूलाराम पुत्र बींजाराम
- 23.मुकनाराम पुत्र बींजाराम
- 24.वेहनीदेवी पत्नी बींजाराम
- 25.चुतरा पुत्र वीरमा फौत के कायमुकाम
- 25/1. टीकूराम पुत्र चुतरा
- 26.खेराजराम पुत्र जोधाराम
- 27.वेहनीदेवी पत्नी जोधाराम
- 28 उगरा पुत्र भाना
- 29.रामा पुत्र दूदा
- 30.रणछा पुत्र दूदा
- 31.हीरा पुत्र दूदा
- 32.जसा पुत्र दूदा
- 33.राजोदेवी पत्नी दूदा फौत के कायमुकाम
प्रतिवादी संख्या 29 से 32


सहायक कलक्टर
SDC, सिणधरी

पुत्र	2
पुत्र	2
पुत्र	2
पुत्र	2
पुत्र	2

क पत्र
(तिनामा)

श्रीमान् उपखण्ड क
उपखण्ड क
वाच/उपखण्ड धारा
श/हस

- 34.सालूराम पुत्र खेमाराम
- 35.चौलाराम पुत्र खेमाराम
- 36.हुकमाराम पुत्र खेमाराम
- 37.भीखीदेवी पत्नी खेमाराम
- 38.केसाराम पुत्र तिलाराम
- 39.दौलाराम पुत्र तिलाराम
- 40.रतनाराम पुत्र तिलाराम
- 41.देवाराम पुत्र तिलाराम जाति जाट नि.पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी
- 42.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी
- 43.तहसीलदार सिणधरी।

दावा बाबत:-88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :-15/2016
निर्णय दिनांक :-26.04.2017

वादीगण की ओर से श्री डालूराम चौधरी.. व प्रतिवादी की ओर प्रतिवादी एकरतफा.की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 26.4.17.को श्री नाथूसिंह राठौड़ (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2017 के अनुसार खातेदारी धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। शेष बद्दूस्तर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख.....26/4/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

नाथूसिंह राठौड़
(नाथूसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़

24
सिणधरी 2017
मार्च 30